बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र० / ऊर्जा / SBPDCL–01 / 2026–   / पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय :– **साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि० क्षेत्राधीन गयाजी जिला अंतर्गत ग्रिड उपकेन्द्र बुमर (BUMER) से पावर शक्ति उपकेन्द्र अमृतसर–कोलकात्ता औद्योगिक गलियारा डोभी (AKIC Dhobbi) तक कुल 35 कि0मी0 एक नये 33 के०वी० लाईन के निर्माण हेतु 8.89 करोड़ रुपये की नयी योजना की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि० के क्षेत्राधीन गयाजी में Amritsar Kolkata Integrated Center, में प्रस्तावित तीन नये विद्युत शक्ति उपकेन्द्र को ग्रिड शक्ति उपकेन्द्र, बुमर (बाराचट्टी) से सम्बद्ध करने के लिए एक नये 33 के0वी0 लाईन के निर्माण की आवश्यकता है। इस नये 33 के०वी० लाईन के निर्माण से Amritsar Kolkata Integrated Center, गमहरिया में प्रस्तावित तीन अद्द नये विद्युत शक्ति उपकेन्द्र को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। साथ ही 24X7 विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के०वी० लाईनों के Ring Mains System का निर्माण एवं ग्रिड से Power Evacuate किया जा सकेगा।

2. उक्त आलोक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि० क्षेत्राधीन गयाजी जिला अंतर्गत ग्रिड उपकेन्द्र बुमर (BUMER) से पावर शक्ति उपकेन्द्र अमृतसर–कोलकात्ता औद्योगिक गलियारा डोभी (AKIC Dhobbi) तक कुल 35 कि0मी0 एक नये 33 के०वी० लाईन के निर्माण हेतु 8. 89 करोड़ रुपये की नयी योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. बजट मांग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष–0106 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 की परियोजना, विपत्र कोड–10–4801051900106 विषय शीर्ष–54.01–निवेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता संख्या–PTSPLA017) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0047–साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200047 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200047 में जमा की जाएगी।

5. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए CFMS खाता संख्या–PTSPLA017 से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार माननीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या– प्र०/ऊर्जा/SBPDCL–01/2026 के पृष्ठ संख्या–10/टि0 पर दिनांक–25.06.2026 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– प्र०/ऊर्जा/SBPDCL–01/2026 के पृष्ठ संख्या–13/टि0 पर दिनांक– 03.07.2026 को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(सुधा गुप्ता)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/ऊर्जा/SBPDCL–01/2026– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र०/ऊर्जा/SBPDCL–01/2026– 3835 /पटना, दिनांक– 13.07.2026

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग(तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.07.26

सरकार के संयुक्त सचिव।